

Rural Sociology

15 April
II Sem

P.G.

①

42

②

पंचायती राज

(Panchayati Raj)

इस अध्याय में हम जानेंगे :

- पंचायती राज का अर्थ
- भारत में पंचायती राज व्यवस्था
- पंचायती राज से सम्बन्धित केन्द्रीय अधिनियम
- ग्राम पंचायतों के उद्देश्य
- ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों का महत्त्व या भूमिका
- 73वें संविधान संशोधन से पूर्व एवं पश्चात् पंचायती राज
- पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी
- पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण

भारत गांवों का देश है। गांवों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण का व्यावहारिक चित्र ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त होता है। भारत में पंचायतों का इतिहास अत्यन्त ही प्राचीन है। भारत में पंच को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। इन पंचों के निर्णय को समाज में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। रामायण, महाभारत तथा बौद्ध काल में भी भारतीय गांवों में पंचायतों का जाल बिछा था। वैदिक और बौद्ध काल में भारत में छोटे-छोटे गणराज्य थे। मुस्लिम काल में भी भारत में पंचायतों का महत्त्व था और वे कर वसूलने का कार्य करती थीं। ब्रिटिश काल में भारतीय पंचायत व्यवस्था को क्षति पहुंची। किन्तु सन् 1901 में विकेन्द्रीकरण कमीशन ने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की। भारत में पंचायती राज की स्थापना स्वतन्त्रता के बाद हुई। बलवन्तराय कमेटी ने भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की थी। सन् 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों को रामराज्य का आदर्श मानते थे। उनके अनुसार ग्रामीण पंचायतों के बिना ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य कठिन है। ग्राम पंचायतों की शुरुआत में पं. नेहरू का भी हाथ था। पं. नेहरू का कहना था कि "गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। उनको काम करने

दो चाहे वे हजारों गलतियां करें। इससे घबराने की जरूरत नहीं। पंचायतों को अधिकार दो।”

स्वतन्त्र भारत में पंचायतों की पुनः स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। पंचायत शब्द का प्रयोग पांच पंचों की सभा के लिए होता है जो गांव के सामूहिक मामलों पर फैसले करती है। यह सामान्यतः एक स्थानीय स्वशासी संस्था (Local Self Govt.) है। भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में लिखा है कि “राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।” आजादी के बाद और सन् 1993 के पहले तक प्रत्येक राज्य अपनी इच्छानुसार पंचायतों का गठन व निर्वाचन करते थे। किन्तु संविधान के 73वें संशोधन के उपरान्त अब प्रत्येक राज्य अनिवार्य रूप से विधि अनुसार पंचायतों का गठन तथा उसके अनुसार स्थानीय शासन तन्त्र की कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार अब पंचायतों का गठन करना प्रत्येक राज्य सरकारों का अनिवार्य दायित्व है।

पंचायती राज का अर्थ

(Meaning of Panchayati Raj)

पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा गांवों का शासन करना है ताकि गांवों का पुनर्निर्माण हो सके। राधाकुमुद मुकर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातन्त्र के देवता की संज्ञा दी है। वास्तव में, पंचायती राज का सम्बन्ध सत्ता के प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण से है। अतः पंचायती राज को प्रजातन्त्रीय राज्य में जनता को उसके कल्याण कार्य में सहभागी बनाने की पद्धति कहा जा सकता है। यह स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्वायत्त शासन के विकास की व्यवस्था है। देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। ऐसी आशा की गई कि इनसे ग्रामीण समाज को स्वशासन का अवसर प्राप्त होगा। अतः ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व अन्य गतिविधियों को प्रजातान्त्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था स्थापित की गई, उसी को पंचायती राज कहा जाता है।

कुछ लोग इसे प्रशासन की एक एजेन्सी, नीचे के स्तर पर प्रजातन्त्र का विस्तार तथा स्थानीय ग्रामीण शासन का घोषणा-पत्र भी मानते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके द्वारा राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया। रजनी कोठारी के अनुसार, “राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था—पंचायती राज की स्थापना। इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक-सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उनकी एकता भी बढ़ रही है।”

बलवन्तराय मेहता ने अपने अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रि-स्तरीय योजना का परामर्श दिया। इस योजना के अन्तर्गत निम्न स्तर पर ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद् है और इन दोनों के मध्य में क्षेत्र समितियाँ हैं।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System in India)

यद्यपि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने का सबसे पहला प्रयत्न बंगाल सरकार की ओर से हुआ। सन् 1919 में बंगाल सरकार ने 'बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम', पारित किया। सन् 1920 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुम्बई प्रान्तों में ग्राम पंचायत सम्बन्धी एक्ट बनाए गए। इसके पश्चात् बिहार, उड़ीसा, आसाम, द्रावनकोर, कोचीन, पंजाब तथा मैसूर आदि प्रान्तों में पंचायत अधिनियम पास किए गए। किन्तु अंग्रेज सरकार के ये सब प्रयत्न अधिकांशतः दिखावी थे। वास्तव में गैर सरकारी तौर पर पंचायतों का पुनर्निर्माण करने की दिशा में अनेकों समाज सुधारकों और राजनैतिक नेताओं ने महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किए हैं। पंचायतों का पुनर्गठन करने के लिए स्वतन्त्रता में पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए गए स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकारी तौर पर इस दिशा में सक्रिय पग उठाए गए।


● वर्तमान काल में पंचायतों का पुनर्गठन

पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित अधिकार दिये गए हैं। उनको स्वशासन (Self Govt.) के अधिकार सौंपे गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क तथा पानी, खेती, उद्योग-धन्धे, भवन निर्माण, प्रशासन और न्याय आदि से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों को पूर्ण करने की व्यवस्था पंचायतें करती हैं। ग्राम पंचायत गांव के सभी वयस्क तथा मत देने योग्य व्यक्तियों के द्वारा चुनी जाती है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज की स्थापना की गई है।

पंचायती राज के अन्तर्गत ग्रामीण प्रशासन (Rural Administration) को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

3 Stage

पंचायती राज व्यवस्था का त्रि-स्तरीय स्वरूप



इस प्रकार, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें समस्त प्रशासनिक तथा न्यायिक और कल्याण कार्यों को पूर्ण करती हैं। ब्लॉक (Block) स्तर पर पंचायतों और अन्य ग्रामीण संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् ग्रामीण स्वराज्य की इकाइयाँ हैं। ग्राम पंचायतों पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। पंचायत इन्स्पेक्टर, पंचायत अधिकारी तथा पंचायत निर्देशक विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के कार्यों पर दृष्टि रखते हैं।